कंडिका–11

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र

इस स्थल पर 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण एवं संचालन से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, अतः इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका—12

वृक्ष विदोहन विवरण एवं वृक्षों का गणना पत्रक

इस उपकेन्द्र हेतु चयनित वन भूमि पर कोई भी वृक्ष मौजूद नहीं है, अतः वृक्ष विदोहन विवरण एवं वृक्षों का गणना पत्रक की आवश्यकता नहीं है।

(पंकज राजपूत)
परिक्षेत्र अधिकारी
बस्तर

(आर.एल. पैकरा)
उप वनमण्डलाधिकारी
बस्तर

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

(आर. के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–13

कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस

लागू नहीं है।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–14

चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि
(पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)

लागू नहीं है।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–15

गैर वन क्षेत्र के आस–पास क्षेत्र का नक्शा

लागू नहीं हैं।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–16

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना
(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25% वार्षिक वृद्धि पर)

लागू नहीं हैं।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका—17

वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

लागू नहीं हैं।

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

कंडिका–18

अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण

ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. 32 खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, जगदलपुर जिला – बस्तर द्वारा 220/132/33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(पंकज राजपूत) परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर	(आर.एल. पैकरा) उप वनमण्डलाधिकारी बस्तर	(राजु अगसिमनि) वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

कंडिका–19

अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. 32 खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, जगदलपुर जिला– बस्तर द्वारा 220 / 132 / 33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, एवं अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

(पंकज राजपूत)
परिक्षेत्र अधिकारी
बस्तर

(आर.एन. पैकरा)
उप वनमण्डलाधिकारी
बस्तर

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

कंडिका—20

अधिनियम का उल्लंघन होने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. 32 खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, जगदलपुर जिला— बस्तर द्वारा 220 / 132 / 33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, अतः इस हेतु किन्हीं भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(पंकज राजपूत)	(आर.एम. पैंकरा)	(राजु अगसिमनि)
परिक्षेत्र अधिकारी	उप वनमण्डलाधिकारी	वनमण्डलाधिकारी
बस्तर	बस्तर	बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

कंडिका–21

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

आवश्यक नहीं।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

(55)

कंडिका—22

कैंचमेंट ट्रीटमेंट प्लान

लागू नहीं है।

Rathod
(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–23

रिक्लेमेशन प्लान

लागू नहीं है।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

(57)

कंडिका–24

माईनिंग प्लान

लागू नहीं है।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–25

व्यवस्थापन प्लान

लागू नहीं है।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–26

फार्म – 'क'
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. **परियोजना विवरण :–**

(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	–ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. 32 खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हें राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर जिला– बस्तर द्वारा 220 / 132 / 33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	–मानचित्र संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत	– रू. 32.72 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	– ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर जिला– बस्तर द्वारा 220 / 132 / 33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है। इस उपकेन्द्र हेतु चयनित वर्तमान भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पंहुच मार्ग की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। यह स्थल जगदलपुर -- कोंडागांव 132 के.व्ही. लाईन के समीप है, जिससे इसे न्यूनतम खर्च पर लाईन को इस उपकेन्द्र से जोड़ा जा सकेगा। यह स्थल 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के ठीक बाजू में होने से मेन एवं ओक्जीलरी बस को एक्सटेंड कर इस उपकेन्द्र को चार्ज किया जा सकेगा। इस उपकेन्द्र हेतु कोई भी ईंटर कनेक्टींग 220 के.व्ही. लाईन नहीं बनाई जानी होगी, जिससे खर्च में कमी होगी। साथ ही 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के बाजू में होने से नियंत्रण कक्ष, स्टेशन ट्रांसफार्मर, बैटरी चार्जर, 220 के.व्ही. बस कपलर एवं ट्रांसफर बे नहीं बनानी पड़ेगी, जिससे खर्च में पर्याप्त बचत होगी। यह स्थल उपकेन्द्र को नगरनार स्टील प्लान्ट को जोड़े जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। अतः इस स्थल को ही अन्तिम रूप से चयनित किया गया है।

(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए) – लागू नहीं है।

(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। – बस्तर क्षेत्र में पर्याप्त एवं लगातार विद्युत सप्लाई सुनिश्चित होने से इस क्षेत्र में पर्याप्त आर्थिक विकास होगा जिससे क्षेत्र के बेरोजगारों को पर्याप्त रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। इस उपकेन्द्र के निर्माण के दौरान भी निर्माण स्थल के आसपास के ग्रामवासियों को पर्याप्त रोजगार भी प्राप्त होगा। यह उपकेन्द्र के निर्माण के दौरान लगभग 01 वर्ष तक 50 लोगों को रोजगार एवं संचालन हेतु 20 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण हेतु आवश्यक निर्बाध विद्युत प्रदाय सुनिश्चित होगा, जिससे जगदलपुर एवं बस्तर क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में वृद्धि होगी।

2. **कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण** – ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर जिला– बस्तर द्वारा 220/132/33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

3. **परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है –**

(i) परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	लागू नहीं है।

4. **क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)** आवश्यक नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) – लागू नहीं।

(61)

6.	**निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा**	— चेक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र / दस्तावेज संलग्न है।

Rathod

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–26

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/Others/20983/2016

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र – छत्तीसगढ़ राज्य

(ii) जिला – बस्तर

(iii) वन प्रभाग – बस्तर वन मण्डल, जगदलपुर

(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में) – 2.68 हे.

(v) वन की कानूनी स्थिति – ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर जिला– बस्तर द्वारा 220/132/33 के.व्ही. उपकेंद्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

(vi) हरियाली का घनत्व – निरंक।

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल–2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल –4 मीटर भी संलग्न की जाएं) – कोई वृक्ष नहीं है।

(viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी – नहीं

(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित की वन की सीमा से अनुमानित दूरी – कक्ष 1438 पी से लगभग 02 कि0मी0 दूर

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए) – नहीं

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। – नहीं

63

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नही।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचें गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें है।	आवश्यक नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	लागू नहीं है।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	लागू नहीं है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	लागू नहीं है।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	लागू नहीं है।
(x) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	लागू नहीं है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रतावित क्षेत्र 40.000 हे0 कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरिक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है
12. विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4091.000 वर्ग कि0मी0
(ii) जिले का वन क्षेत्र	अरक्षित वन – 1083.761 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन – 661.326 वर्ग कि.मी. असिमांकित वन – 466.720 वर्ग कि. 2211.807 वर्ग कि.मी.

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना – 595.630 हे0 प्र0मं0ग्रा0स0ये0 गिट्टी उत्खनन ग्राम उडियापाल,डिलमिली इरपा – 2.400 हे0 बी0आर0ओ0 सडक चौडिकरण –37.031 हे0 सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण – 0.789 हे0 रेल लाईन निर्माण –10.763 हे0 भोण्ड जलाशय – 0.630 हे0 पीठापुर जलाशय – 7.860 हे0 तारापुर जलाशय –19.448 हे0 रक्षा अनुसंधान एवं विकास –132.598 हे0 पुलिस चौकी निर्माण –0.900 हे0 पानी पाईप लाईन निमार्ण –25.720 हे0 विद्युत लाईन निर्माण –4.712 हे0 जल विद्युत परियोजना –19.718 हे0 **योग 858.199 हे0**
(i) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	नहीं ।
(ख) वनेत्तर भूमि पर	नहीं।
(ii) तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वनभूमि	वैकल्पिक वृक्षारोपण – 5635.000 हे0 आर.डी.एफ – 6200.000 हे0 **योग – 11835.000 हे0**
(ख) वनेत्तर भूमि पर	30.00 हेक्टेयर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	ग्राम महुपाल बरई खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.680 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या. जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा एतद् द्वारा की जाती है।

दिनांकः– 26/09/2016
स्थानः– जगदलपुर

(राजु अगरिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर , जगदलपुर

कंडिका–26

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

01. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

....
....
....
....
....
....
....

02. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

....
....
....
....
....

03. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ सिफारिशें।

....
....
....
....
....

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर

नाम– ....

सरकारी मोहर

कंडिका क्रमांक – 26

प्रपत्र–3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	220/132/33 के.व्ही. उपकेंद्र का निर्माण		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	220/132/33 के.व्ही. उपकेंद्र का निर्माण		
4	**आवेदित क्षेत्र की स्थिति**	**जिला**	**वनमंडल**	**परियोजना स्थल**
	220/132/33 के.व्ही. उपकेंद्र का निर्माण हेतु प्रस्तावित है, जो राजस्व वनभूमि है।	बस्तर	बस्तर	ग्राम महुपाल बरई
5	**वन भूमि का विस्तृत विवरण**	**वनखण्ड**	**कक्ष क्रमांक**	**आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)**
	(क) आरक्षित वन	–	–	–
	(ख) संरक्षित वन	–	–	–
	(ग) राजस्व वनभूमि (छोटे /बड़े झाड़ के जंगल)	ग्राम महुपाल बरई	ख.क्र.खसरा क. 171, 98, 97, 173	रकबा कमशः 0.750 हे., 1.040 हे., 0.810 हे. एवं 0.080 हे. कुल 2.680 हे.
		योग		**2.680**

6	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति एवं प्रकार	Open Forest
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	निरंक।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक।
9	आवेदित क्षेत्र की (विषेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रुप से मानचित्र में भी अंकित करें।	आवश्यकता नहीं है।
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यानण बायेस्पेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नही ? यदि हां तो प्रतिवेदित करें।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रुप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नही (विषेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या)	आवश्यक नहीं।

12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नही ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

प्रमाण—पत्र

उपरोक्त जानकारी / विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :— महुपाल बरई।
दिनांक :— 22/09/2016।

(राजु अगसिमनि)
(भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

कंडिका–27

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. द्वारा जगदलपुर के समीप ग्राम महुपाल बरई में प्रस्तावित 220 / 132 / 33 के.व्ही.उपकेन्द्र हेतु प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कोई भी ऐतिहासिक स्थल नहीं है।

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल जगदलपुर

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

कंडिका–28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., जगदलपुर

"प्रदर्श–ब"

ग्राम सभा महुपालबरई की बैठक दिनांक 19.03.2016 की कार्यवाही विवरण

ग्राम : महुपालबरई

स्थान : ग्राम पंचायत भवन महुपालबरई दिनांक 19.03.2016

आज दिनांक 19.03.2016 को ग्राम महुपालबरई विकासखण्ड बस्तर के सरपंच श्रीमती लता बघेल के अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के कुल ....30....... सदस्य ..100%... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई –

1. ग्राम महुपाल बरई में आवेदक कार्यपालन अभियंता (सिविल) 400 के.व्ही. सिविल संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. जगदलपुर ने गैर वानिक कार्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 2.68 हे. जिसमें 0.00 हें. वन भूमि एवं 2.68 हें (ख.न. 97 रकबा 8.00 प्र.क्षे. 0.81 एवं ख.न. 98 रकबा 9.35 प्र.क्षे. 1.04 एवं ख.न. 171 रकबा 2.49 प्र.क्षे. 0.75 एवं ख.न. 173 रकबा 0.55 प्र.क्षे. 0.08 जिसका कुल योग 2.68 हें.) राजस्व वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा हुई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन निवासी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 220/132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर परंपरागत् वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधियाँ नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायीक) किसी भी को इस प्रस्तावित व भूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत् वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है –

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हें. में)
1	महुपालबरई	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 0.00 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि ख.न. 97 रकबा 8.00 प्र.क्षे. 0.81 एवं ख.न. 98 रकबा 9.35 प्र.क्षे. 1.04 एवं ख.न. 171 रकबा 2.49 प्र.क्षे. 0.75 एवं ख.न. 173 रकबा 0.55 प्र.क्षे. 0.08 कुल योग 2.68 हें. वन भूमि को गैर वानिकि प्रयोजन हेतु आवेदक कार्यपालन अभियंता (सिविल) 400 के.व्ही. सिविल संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. जगदलपुर को प्रचलित नियम के अनुसार व्यपवर्तित किया जाए।

latu

हस्ताक्षर

अथवा

नाम लता बघेल

सरपंच latu

सरपंच
श्रीमती लता बघेल
ग्राम पंचायत बड़ेपालवाई
जनपद पंचायत बस्तर

उपस्थित सदस्यगण

क्रमांक नाम

सूची संलग्न

नाम एवं अंगूठे का निशान

सचिव
ग्राम पंचायत बड़ेपालवाई
जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम …… [illegible]
2. ग्राम सभा का नाम …… [illegible] विशेष ग्राम सभा
3. सम्मिलन का तारीख …… 19-3-2016
4. सम्मिलन का स्थान …… पंचायत भवन
5. सम्मिलन का समय …… 12:00

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
1.	[illegible] सिंह पंच	[illegible]
2.	चैन सिंह [illegible] पंच	[illegible] 19/03/2016
3.	[illegible] सिंह कामदेव कश्यप पंच	कामदेव
4.	सुरूप बाई ठाकुर पंच	[illegible]
5.	कमली विश्वकर्मा पंच	कमली
6.	रामेश्वरी [illegible] पंच	रामेश्वरी
7.	[illegible] बाई पंच	श्रीमती
8.	सुरेन्द्र [illegible]	[illegible]
9.	रविन्द्र चौरसिया	रविन्द्र
10.	जगदीश ठाकुर	जगदीश ठाकुर
11.	[illegible] नारायण ठाकुर	नारायण
12	[illegible] बघेल	[illegible]
13	राजेश कुमार राठौड़ [illegible] [illegible] म.प्र.	[illegible]

	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
14	मनजीत (चौकीदार)	मनजीत (चौकीदार)
15	पूनम नेताम सचिव ग्रा पंचायत	सचिव ग्राम पंचायत
16	बुद्धू राम	
17	जयसिंह	जयसिंह
18	लखनदीर	लखनदीर
19	धनकू राम	धनकूराम
20	हरि	हरि
21	रामू राम	रामूराम
22	गोमती	गोमती
23	पविताबाई	पविताबाई
24	कुंवरा	
25	उमेश	उमेश
26	महादेव	महादेव
27	कृष्णा	कृष्णा
28	दलपत	दलपत
29	लखमी	लखमी
30	धनीराम	धनीराम

सरपंच ग्राम पंचायत

जिले की कुल वन भूमि रकबा की जानकारी

बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर की कुल वन भूमि निम्नानुसार है :–

1.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4029.980 वर्ग कि0मी0
2.	जिले का वन क्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
	आरक्षित वन	1083.761 वर्ग कि0मी0
	संरक्षित वन	661.326 वर्ग कि0मी0
	असीमांकित वन	466.720 वर्ग कि0मी0
	योगः–	2211.807 वर्ग कि0मी0

(राजु अगसिमनि)
(भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हेक्टेयर में

बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत प्रकरणों में निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हुआ है।

क्रमांक	आवेदित विभाग	परियोजना का नाम	वन भूमि रकबा (हे.में.)	भारत शासन का स्वीकृति आदेश क्र.
1	सिंचाई विभाग	भोण्ड जलाशय	0.630	क.8–493/84/एफ.सी दिनांक 27.05.89
2	सिंचाई विभाग	पीढापुर जलाशय	7.860	क.8–374/84/एफ.सी दिनांक 15.05.94
3	सिंचाई विभाग	तारापुर जलाशय	19.448	क.8–327/84/एफ.सी दिनांक 13.07.89
4	रक्षा विभाग भारत सरकार	रक्षा अनुसंधान एवं विकास	132.598	क.8–11/95/एफ.सी दिनांक 24.08.99
5	जल संसाधन संभाग	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना	595.630	क.8–203/88/एफ.सी दिनांक 24.08.98
6	प्र.मं.ग्रा.स.यो. ग्राम उडियापाल इरपा डिलमिली	मिट्टी उत्खनन	2.400	क.6–493/84/सी.एच.सी. /032/05–बी.एच.ओ./1977 क.6–493/84/सी.एच.सी. /031/05–बी.एच.ओ./1972 दिनांक 29.09.05 दिनांक 29.09.05 एवं क. 6–सी.एच.सी./028/05–बी.एच.ओ. /1975, दिनांक 29.09.05
7	बी0आर0ओ	सडक चौडीकरण	37.031	क.8–143/03/एफ.सी दिनांक 27.02.04
8	भारतीय मानव विज्ञान	सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण	0.789	क.6–सी.एच.बी./048/07–बी.एच.ओ. /2588 दिनांक 20.10.09
9	एन.एम.डी.सी.	रेल लाईन निर्माण	10.763	क.6–सी.एच.बी./035/06–बी.एच.ओ. /876 दिनांक 17.05.10
10	मेसर्स Chhattisgarh Energy Consortium (India) Pvt.Ltd. Raipur	24.75 मेगावॉट माडेर–1 जल विद्युत परियोजना	19.718	क./6–सी.एच.सी./015/2009–बी.एच.ओ./2935 दि. 21.04.2011
11	परियोजना प्रबंधक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, नगरनार	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट निर्माण हेतु (रा.वनभूमि 1.800 एवं रा.वनभूमि 23.920)	25.720	क्रमांक/6–CHC/012/2010–BHO/3034 दिनांक 06.05.11
12	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	पुलिस चौकी निर्माण हेतु (राजस्व वनभूमि)	0.900	क्रमांक/6 CHB 062/2007-BHO/257 दिनांक 03.02.2011
13	कार्यपालन यंत्री अतिउच्च दाब (निर्माण एवं संधारण) संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल रायपुर	विद्युत लाईन निर्माण हेतु	4.712	क./6–CHC/003/2010–BHO/3066 दि. 12.05.2011
14	निदेशक एस.आई.बी. (एम.एच.ए.) जी.ओ.आई., रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु (राजस्व वनभूमि)	0.232	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र./एफ–5–4/2012/10–2 दि. 10.03.2014
15	पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर	कक्ष क्रमांक 1402पी में पुलिस चौकी निर्माण हेतु (ग्राम घोटिया)	1.000	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र./एफ–5–4/2014/10–2 दि. 10.04.2015
		योग :–	859.431	

(राजु अगासिमनि)
(भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कंडिका–31

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी (Catagory) की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हेक्टेयर में

बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इसी केटेगिरी में 14.58 हे. राजस्व वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत है।

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कंडिका—32

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर एवं अन्य ऐतेहासिक महत्त्व का चिन्ह / मूर्ति की जानकारी

प्रस्वावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर एवं अन्य ऐतिहासिक महत्त्व का चिन्ह / मूर्ति नहीं आता है।

Rathod
(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, जगदलपुर

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कंडिका–33

प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी.परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन की जानकारी (खनन प्रकरणों में)

लागू नहीं।

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

FORM-II Annexure-II

(for project other than linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector- Batar

No.Q/reader/2016 Date 17/10/2016

TO WHOWSOVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dates 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.68** hectares of forest land proposed to diverted in favour of **Exicutive Engineer (civil) chhattigarh state power transmission Co. Ltd jagdalpur Dist bastar for 200/132 K.V. Sub Station for construction** in **Bastar** District falls with in jurisdiction of **Mahupal Barei** village in **Bastar** Tehsil.
It is further certified that :-

(A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.68 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meetings of the forest rights. Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annrxure ...... to .... Annrxure ....

(B) The porposal for such diversion (with full details of thr porject and its implications, in veynacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of the forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(C) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative messures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Mahupal Barei** villages(s) is enclosed as annexure ----- to annexure -------------

(D) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(E) the diversions of forest land for facilities managed by the Goverment as required under section. 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(F) the right of primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA

Encl : **As above**
Date : 17 **/10/2016**
Place : **Jagdalpur**

17/10/16

(HIRALAL NAYAK)
Collector
District Batar (C.G.)

(796)

वन अधिकारो के मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तरीय समिति का बैठक कार्यवाही विवरण

छ०ग०राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, जगदलपुर के द्वारा ग्राम महुपाल बरई में निर्माणाधीन 400 के०व्ही० विद्युत उपकेन्द्र के बाजू में 220/132 के०व्ही० उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि खसरा नंबर 97 रकबा 8.00 हेक्टेयर मे से 0.81 हेक्टेयर, खसरा नंबर 98 रकबा 9.35 हेक्टेयर मे से 1.04 हेक्टेयर, खसरा नंबर 171 रकबा 2.49 हेक्टेयर मे से 0.75 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 173 रकबा 0.55 हेक्टेयर मे से 0.08 हेक्टेयर छोटे झाड़ मद की भूमि को छ०ग०रा०वि०पारे०कं०मर्या० जगदलपुर को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु Settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Foresst Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act.2006(FRA) के तहत वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तरीय समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है ।

(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्मचारी/अधिकारी के निर्वहन के नियम 2006 के नियम 6 एवं 14 मे निर्दिष्ट प्रक्रिया के अर्न्तगत अनुविभाग स्तरीय बैठक दिनांक 10-10-2016 को आयोजित की गई जिसमे वन अधिकारो के मान्यता के तहत गठित अनुविभाग स्तरीय समिति के निम्न अधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1-सुश्री लवीना पाण्डेय,अनुविभागीय अधिकारी(रा0) बस्तर,अध्यक्ष
2-श्रीमती शकुंतला, कश्यप,अध्यक्ष, जनपद पंचायत,बस्तर,सदस्य
3-श्रीमती दुर्गावती मारकंडे,जनपद पंचायत सदस्य बस्तर, सदस्य
4-श्री रीमाधर बघेल, जनपद पंचायत सदस्य बकावण्ड, सदस्य
3-श्री ~~[illegible]~~ अनुविभागीय अधिकारी,वन,बस्तर, सदस्य
4-श्री घनश्याम जांगडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत, बस्तर, सदस्य
5-श्री संजय चंदेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत,बकावण्ड,सदस्य
6-श्री अजय तिवारी, मण्डल संयोजक, बस्तर, सदस्य
7-श्री गोपाल सिंग कंवर, मण्डल संयोजक, बकावण्ड, सदस्य

उपरोक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति बस्तर की बैठक दिनांक 10-10-16 का अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बस्तर की अध्यक्षता में आयोजित की गई । वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में ग्राम पंचायत महुपाल बरई की ग्राम सभा मे पारित प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

उपरोक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति / तथा अन्य परम्परागत वन निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति व आदि वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदत्त नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित वन भूमि में छ0ग0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 जगदलपुर को समिति द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन करने हेतु सर्व सम्मति से अनुशंसा की जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बस्तर

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
बस्तर

शकुंतला कश्यप
अध्यक्ष
जनपद पंचायत, बस्तर

मुख्य कार्यपालनअधिकारी
जनपद पंचायत, बस्तर

मुख्य कार्यपालनअधिकारी
जनपद पंचायत, बकावण्ड

मंडल संयोजक
बस्तर

मण्डल संयोजक
बकावण्ड

जनपद सदस्य
बस्तर

जनपद सदस्य
बकावण्ड

कंडिका--34

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

संलग्न है।

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

(80)

48 A

"प्रदर्श–ब"

ग्राम सभा महुपालबरई की बैठक दिनांक 19.03.2016 की कार्यवाही विवरण

ग्राम : महुपालबरई

स्थान : ग्राम पंचायत भवन महुपालबरई   दिनांक 19.03.2016

आज दिनांक 19.03.2016 को ग्राम महुपालबरई विकासखण्ड बस्तर के सरपंच श्रीमती लता बघेल के अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के कुल ....30....... सदस्य 100%... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई –

1. ग्राम महुपाल बरई में आवेदक कार्यपालन अभियंता (सिविल) 400 के.व्ही. सिविल संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. जगदलपुर ने गैर वानिक कार्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 2.68 हे. जिसमें 0.00 हें. वन भूमि एवं 2.68 हें (ख.न. 97 रकबा 8.00 प्र.क्षे. 0.81 एवं ख.न. 98 रकबा 9.35 प्र.क्षे. 1.04 एवं ख.न. 171 रकबा 2.49 प्र.क्षे. 0.75 एवं ख.न. 173 रकबा 0.55 प्र.क्षे. 0.08 जिसका कुल योग 2.68 हें.) राजस्व वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा हुई।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन निवासी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 220/132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर परंपरागत् वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधियाँ नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायीक) किसी भी को इस प्रस्तावित व भूमि पर नहीं दिया गया है।

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत् वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है –

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हें. में)
1	महुपालबरई	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 0.00 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि ख.न. 97 रकबा 8.00 प्र.क्षे. 0.81 एवं ख.न. 98 रकबा 9.35 प्र.क्षे. 1.04 एवं ख.न. 171 रकबा 2.49 प्र.क्षे. 0.75 एवं ख.न. 173 रकबा 0.55 प्र.क्षे. 0.08 कुल योग 2.68 हें. वन भूमि को गैर वानिकि प्रयोजन हेतु आवेदक कार्यपालन अभियंता (सिविल) 400 के.व्ही. सिविल संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. जगदलपुर को पचलित नियम के अनुसार व्यपवर्तित किया जाए।

latu

हस्ताक्षर

अथवा

नाम ....लता बघेल

सरपंच ....latu

सरपंच
श्रीमती लता बघेल
ग्राम पंचायत [illegible]
जनपद पंचायत [illegible]

नाम एवं अंगुठे का निशान

उपस्थित सदस्यगण
क्रमांक नाम

सूर्या सल्लाम

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
जनपद पंचायत बस्तर (छ.ग.)

(नियम-13)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम ...... मडुपाछ माल
2. ग्राम सभा का नाम ...... बिछुआ [illegible] [illegible] विशेष ग्राम सभा
3. सम्मिलन का तारीख 13-3-2016
4. सम्मिलन का स्थान ...... पंचायत भवन
5. सम्मिलन का समय 12.00

अनुक्रमांक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
1.	छत्रपाल सिंह पंच	[illegible]
2.	चैन सिंह अहीर पंच	Jhain 19/03/2016
3.	छोटेलाल सिंह कामदेव कश्यप पंच	कामदेव
4.	स्वरूप बली ठाकुर पंच	[illegible]
5.	कमली विश्वकर्मा पंच	कमली
6.	रामेश्वरी अहीर पंच	रामेश्वरी
7.	ओमवती पंच	ओमवती
8.	सुरेन्द्र अहीर	[illegible]
9.	रविन्द्र चौरसिया	रविन्द्र
10.	जगदीश ठाकुर	जगदीश ठाकुर
11	[illegible] नारायण ठाकुर	नारायण
12	लता बघेल	[illegible]
13	राजेश कुमार राठौड़ [illegible] [illegible] म.प्र.	[illegible]

(83)

सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
14 मन दीप (ओ हरदार)	मनदीप (ओहरदार)
15 सुनम भैराम सचिव ग्रा पंचायत	सचिव ग्राम पंचायत महेशखेड़ा
16 दुई राम	
17 जयसिंह	जयसिंह
18 लक्षदीप	लक्षदीप
19 भाकडु राम	भाकडु राम
20 हरि	हरि
21 रामू राम	रामू राम
22 गोमती	गोमती
23 पहिलाबाई	पहिलाबाई
24 कृष्णा	
25 कुशला	कुशला
26 महादेव	महादेव
27 कृष्णा	कृष्णा
28 दलपत	दलपत
29 लख्मी	लख्मी
30 धुनीराम	धुनीराम

प्रदर्श – "स"

प्रमाण पत्र

कार्यपालन अभियंता (सिविल) 400 के0व्ही0 सिविल संभाग छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 जगदलपुर के द्वारा ग्राम महुपाल बरई में निर्माणाधीन 400 के0व्ही0 विद्युत उपकेन्द्र के बाजू में 200/132 के0व्ही0 उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम महुपाल बरई, प0ह0नं0–32, रा0नि0मं0 बस्तर तहसील बस्तर स्थित खसरा क्रमांक क्रमशः 97, 98, 171, 173, रकबा 8.00, 9.35, 2.49, 0.56 में से रकबा 0.81, 1.04, 0.75, 0.08 कुल रकबा 2.68 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम् 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 2.68 हे0, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम महुपाल बरई, तहसील बस्तर में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 19/03/2016 प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"ब")** पर दर्शित है।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत महुपाल बरई में श्रीमती लता बघेल की अध्यक्षता में हुई, ग्राम सभा की बैठक दिनांक 19/03/2016 को रखा गया था। इस ग्राम सभा की बैठक में 100 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा वन समिति के 30 सदस्य उपस्थित थे, जिनकों परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1	महुपाल बरई,	निरंक	निरंक

3/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए, उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4/ यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19/03/2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1)(म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5/ ग्राम सभा के दिनांक 19/03/2016 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

दिनांक :– 12/7/2016

(अमित कटारिया)
कलेक्टर
अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
जिला बस्तर

(85)

कंडिका—35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण—पत्र

संलग्न है।

(राजु अगसिमनि)
वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक/क/रीडर/2016 जगदलपुर, दिनांक 4/7/2016

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के0व्ही0 सिविल संभाग
छ0ग0वि0पारे0कं0मर्या0 जगदलपुर ।

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र0 का.अ./सिविल/400 के.व्ही./16-17/146 दिनांक 01.06.2016 ।

— ::: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे । ग्राम महुपाल बरई में निर्माणाधीन 400 के0व्ही0 विद्युत उपकेन्द्र के बाजू में 200/132 के0व्ही0 उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम महुपाल बरई, प0ह0नं0-32, रा0नि0मं0 बस्तर स्थित खसरा क्रमांक क्रमशः 97, 98, 171, 173, रकबा हेक्टेयर 8.00, 9.35, 2.49, 0.55 में से प्रभावित रकबा 0.81, 1.04, 0.75, 0.08 कुल रकबा 2.68 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि को भू-प्रत्यावर्तन किया जाना उल्लेखित किया गया है । यह भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि की श्रेणी है । जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है।

अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने के संबंध में विधिवत् वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला बस्तर

पृ0क्रमांक/क/रीडर/2016 जगदलपुर, दिनांक / /2016

प्रतिलिपि :-

वन मण्डलाधिकारी, बस्तर वन मंडल (सा0) जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला बस्तर

कंडिका–36

मानयीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन ग्राम महुपाल बरई पटवारी हल्का नं. 32, खसरा नं. 97, 98, 171 एवं 173 रकबा 2.68 हे. राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित जगदलपुर जिला–बस्तर द्वारा 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन विभाग द्वारा प्रत्याशा मूल्य जमा करने हेतु जो भी राशि निर्धारित की जावेगी उसे जमा कर दिया जावेगा।

RRathod

(आर.के. राठौड़)
कार्यपालन अभियंता (सिविल)
400 के.व्ही. सिविल संभाग
छ0रा0वि0पारे0क0मर्या0,जगदलपुर